

कोटेशन सूचना

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा त्रैमासिक पत्रिका "जलागम दर्पण" का प्रकाशन वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्रैमास का प्रस्तावित है प्रस्तावित अंकों के प्रकाशन हेतु निम्न विशिष्टियों के अनुसार प्रति पृष्ठ की दर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रिंटिंग कार्य करवाने हेतु दिनांक 12-10-2018 को अपराह्न 3.30 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। यह कोटेशन दिनांक 12-10-2018 को उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न परियोजना निदेशक (प्रशासन) जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून के कक्ष में खोली जायेंगे। कोटेशन खुलते समय कोटेशनदाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

क्र० सं०	विवरण	मात्रा अनुमानित	दर	टैक्स/ जी० एस०टी०	कुल धनराशि
1.	त्रैमासिक पत्रिका "जलागम दर्पण" कम्पलीट प्रिंटिंग कर तैयार करना। page Specification page of Size: 8"x11.75" Thickness of page: 170 gsm Quality of page: magno matt Other Specification Cover page: laminated Printing: Multicolour Binding: Centre Pin	3000-3500 प्रति त्रैमासिक प्रति पत्रिका अनुमानित पृष्ठ 24-36	प्रति पृष्ठ दोनो तरफ प्रिंटिंग सहित		

कोटेशन की शर्तें

- कोटेशन दिनांक 12.10.2018 की सांय 3.30 बजे तक मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय में पंजीकृत /स्पीड पोस्ट डाक से पहुंच जानी चाहिए।
- विलम्ब से प्राप्त कोटेशनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- शर्तिया कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- प्रतियों की संख्या (3000-3500) प्रति त्रैमास या संयुक्तांक त्रैमास अंक आवश्यकता के अनुसार घट बढ़ सकती है।
- कोटेशनदाताओं को यह परामर्श दिया जाता है, कि वे जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड, कार्यालय में आकर कार्य को भली भांति समझ लें ताकि कोटेशन भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्य की दशाओं, विशेष विवरण, आवश्यकताओं आदि से परिचित कर लिया गया है।
- अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा कि वे बिना कारण बताये या बिना स्पष्टीकरण दिये एक या सभी कोटेशन निरस्त कर सकते हैं। विवाद की स्थिति में मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून का निर्णय अंतिम होगा।
- कोटेशन के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन (Convassing) करने का कड़ा निषेध है और ऐसी कोटेशनदाताओं की कोटेशन स्वीकृत कराने का जो प्रयत्न करेंगे, अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- नियमानुसार जी०एस०टी० व आयकर की कटौती की जायेगी, यदि कोई अन्य कर देय होगा तो वह प्रकाशक को स्वयं देना होगा।
- कोटेशन का आंकलन न्यूनतम दर पर ही निर्धारित किया जायेगा।
- स्वीकृत कोटेशनदाता को अधोहस्ताक्षरी आपूर्ति आदेश देने हेतु बाध्य नहीं होंगे।
- सफलतम कोटेशनदाता समय-समय पर इस निदेशालय में कार्यरत आई.ई.सी. सलाहकार के सम्पर्क में रहकर कार्य करेगा।
- कोटेशनदाता फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रु० 50.00 लाख होना आवश्यक है।

13. कोटेशनदाता फर्म को विगत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा ओडिटेड बैलेस सीट संलग्न करना अनिवार्य है ।
14. कोटेशनदाता फर्म को पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, न्यूजलेटर आदि की Multicolour रिपोर्ट के प्रकाशन का अनुभव होना आवश्यक है, साक्ष्य स्वरूप फर्म केवल उत्कृष्ट प्रकाशन की प्रति संलग्न करें ।
15. कोटेशनदाता फर्म को कोटेशन के साथ धरोहर राशि रु0 10.00 (दस) हजार का डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक के रूप में, जो कि परियोजना निदेशक प्रशासन देहरादून के नाम जारी हो, संलग्न करना आवश्यक है ।
16. सफल कोटेशनदाता फर्म को आपूर्ति आदेश से पूर्व जमानत राशि रु0 30.00 (तीस) हजार को डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक के रूप में, जो कि परियोजना निदेशक प्रशासन देहरादून के नाम जारी हो, जमा करना होगा ।
17. कोटेशन खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर कोटेशन अगली तिथि को खोले जायेंगे ।
18. समस्त करों को अलग से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा ।
19. कोटेशनदाता फर्म को जी0एस0टी0/ व्यापार कर में पंजीकृत होना आवश्यक है । पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
20. बिल का भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए बिल में पैन नम्बर, टैन नम्बर, अकाउंट नम्बर, बैंक का नाम, आई.एफ.एस. कोड, मोबाईल नम्बर, अंकित करना अनिवार्य है ।
21. सफलतम कोटेशनदाता को आपूर्ति आदेश के पश्चात 15 दिन के अन्दर आपूर्ति करना आवश्यक होगा ।
22. कोटेशन लिफाफे के उपर जलागम दर्पण प्रिंटिंग हेतु कोटेशन लिखना आवश्यक है ।
23. प्रिंटिंग हेतु अनुमोदित दरें दिनांक 31.03.2019 तक मान्य होगी ।
24. सफलतम कोटेशनदाता फर्म को समस्त पत्रिका की डिजाईनिंग आदि कार्य स्वयं करना होगा, पत्रिका का मैटर/फोटो आदि इस निदेशालय से दिये जायेंगे ।
25. पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, न्यूजलेटर आदि की क्वालिटी/गुणवत्ता दिये गये स्पेशलफिकेशन के अनुसार उच्चतम न होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
26. कोटेशनदाता फर्म को कोटेशन संलग्न प्रारूप (Format) में ही देना होगा ।



 परियोजना निदेशक (प्रशासन),
 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पंजीकृत/स्पीडपोस्ट/ई-मेल से प्रेषित

पत्रांक: 855 /15-2 / दिनांकित ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, देहरादून ।
2. जिला परिषद, देहरादून ।
3. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून ।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड ।


 परियोजना निदेशक (प्रशासन)
 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
 उत्तराखण्ड, देहरादून ।

जलागम दर्पण के प्रकाशन की कोटेशन दर हेतु प्रारूप

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
इन्दिरानगर, फ़ॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून

विषय:- जलागम दर्पण के प्रकाशन हेतु कोटेशन दर ।

महोदय,

आपकी विज्ञापित पत्रांक 855/16-29 दिनांक 25/09/2018
के अनुपालन में मेरी प्रकाशक/फर्म (नाम एवं पता)

आपके कोटेशन शर्तानुसार उच्च गुणवत्ता की जलागम दर्पण प्रकाशन दर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्र० सं०	विवरण	मात्रा अनुमानित	दर प्रति पृष्ठ दोनो तरफ प्रिंटिंग सहित (रु० में)	टैक्स/ जी० एस०टी०	दर टैक्स सहित (रु० में)
1.	त्रैमासिक पत्रिका "जलागम दर्पण" page Specifiacion page of Size : 8"x11.75" Thickness of page: 170 gsm Quality of page : magno matt Other Specifiacion Cover page: laminated Printing : Multicolour Binding : Centre Pin	3000-3500 प्रति त्रैमासिक प्रति पत्रिका अनुमानित पृष्ठ 24-36			

संलग्नक :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

फर्म स्वामी के हस्ताक्षर